By-E-Mail /Courier

पत्रांक– म० भो० / को०–104 / 2013 -1189 /

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति

प्रेषक,

निदेशक,
मध्याह्न भोजन योजना,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी, बिहार।

प्रबंध निदेशक, राज्य खाद्य निगम, पटना।

वरीय क्षेत्रीय प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, पटना।

पटना, दिनांक 03/7/18

विशयः मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 के द्वित्तीय त्रैमास का खाद्यान्न आवंटन के संबंध में।

प्रसंगः मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक–No.5-1/2018-Desk (MDM) दिनांक–06.06.2018।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2018–19 के द्वित्तीय त्रैमास का खाद्यान्न का आंवटन दिया जा रहा है, जिसे निम्न प्रकार से जिलावार उपावंटित किया गया हैः–

द्वितिय त्रैमास 2018–19 में खाद्यान्न का आवंटन(सभी मात्रा MT में)

Sr.No.	District	I-V				VI-VII			
		पिछले पांच माह के औसत लाभान्वित के अधार पर द्वितीय त्रैमास में जिलो को खाद्यान्न की आवयश्कता	वितीय वर्ष 2017–18 में खाद्यान्न के उपयोगिता प्रमाण पत्र मे दर्शाये गये खाद्यान्न की अंतिम अवशेष की मात्रा	वितीय वर्ष 2018–19 के प्रथम त्रैमास में त्रैमास समाप्त होने के पश्चात् राज्य खाद्य निगम के पास खाद्यान्न की अंतिम अवशेष की मात्रा	जिलो के द्वितीय त्रैमास के खाद्यान्न की आवश्यकता में से उपयोगिता प्रमाण पत्र में दर्शाये गये अंतिम अवशेष की मात्रा एवं प्रथम त्रैमास 2018–19 में राज्य खाद्य निगम के पास अवशेष खाद्यान्न को समायोजन करने के पश्चात् जिलो को दिये जाने वा ले खाद्यान्न की आवटंन की मात्रा	पिछले पांच माह के औसत लाभान्वित के अधार पर द्वितीय त्रैमास में जिलो को खाद्यान्न की आवयश्कता	वितीय वर्ष 2017–18 में खाद्यान्न के उपयोगिता प्रमाण पत्र मे दर्शाये गये खाद्यान्न की अंतिम अवशेष की मात्रा	वितीय वर्ष 2018–19 के प्रथम त्रैमास में त्रैमास समाप्त होने के पश्चात् राज्य खाद्य निगम के पास खाद्यान्न की अंतिम अवशेष की मात्रा	जिलो के द्वितीय त्रैमास के खाद्यान्न की आवश्यकता में से उपयोगिता प्रमाण पत्र में दर्शाये गये अंतिम अवशेष की मात्रा एवं प्रथम त्रैमास 2018–19 में राज्य खाद्य निगम के पास अवशेष खाद्यान्न को समायोजन करने के पश्चात् जिलो को दिये जाने वाले खाद्यान्न की आवटंन की मात्रा
a	b	c	d	e	f=c-(e+d)	g	h	i	j=g-(h+i)
1	Araria	1401.35	0	1225.17	176.18	604.78	0	514.98	89.80
2	Arwal	292.99	86.69	197.24	9.06	216.35	62	139.01	15.34
3	Aurangabad	1174.28	305.3	896.43	0.00	1037.88	225.45	786.29	26.14
4	Banka	896.57	160.3	620.82	115.45	668.18	123.06	8.46	536.66
5	Begusarai	1346.58	114.95	32	1199.63	1046.51	36.76	12.91	996.84
6	Bhagalpur	1348.29	204.14	979.56	164.59	1019.33	137.766	637.54	244.02
7	Bhojpur	971.25	146.22	912.22	0.00	755.38	0	677.32	78.06
8	Buxar	692.04	138.26	530.91	22.87	576.04	113.13	425.87	37.04
9	Darbhanga	1838.35	0	9.5	1828.85	1269.21	0	566.87	702.34
10	East Champaran	2764.71	108.01	41.26	2615.44	1847.71	69.64	26.38	1751.69

11	Gaya	1804.12	12.95	1216.52	574.65	1157.83	7.86	748.24	401.73
12	Gopalganj	1159.22	0	284.35	874.87	861.87	0	258.4	603.47
13	Jamui	960.09	129.1	0	830.99	634.07	127.31	0	506.76
14	Jehanabad	411.52	0	0	411.52	308.82	0	0.3	308.52
15	Kaimur (Bhabua)	723.80	100.7	104.25	518.85	613.00	72.55	42.7	497.75
16	Katihar	1526.32	846.83	426.82	252.67	874.20	362.93	196.37	314.90
17	Khagaria	888.73	0	216.84	671.89	551.89	0	128.15	423.74
18	Kishanganj	873.21	1951.56	785.04	0.00	522.99	962.32	428.95	0.00
19	Lakhisarai	451.28	200.052	0	251.23	294.10	192.383	0	101.71
20	Madhepura	1047.91	345.56	740.08	0.00	641.02	218.08	443.13	0.00
21	Madhubani	2341.39	0	1017.98	1323.41	1654.14	0	703.23	950.91
22	Munger	550.53	346.94	291.8	0.00	434.53	225.78	202.32	6.43
23	Muzaffarpur	2045.30	14.395	783.98	1246.93	1577.90	9.581	576.18	992.14
24	Nalanda	1141.64	0	0	1141.64	836.99	0	473.27	363.72
25	Nawada	986.32	1075.55	402.44	0.00	643.64	661.84	222.06	0.00
26	Patna	1718.61	1355.51	760.77	0.00	1291.70	27.42	544.67	719.61
27	Purnia	1648.04	0	299.27	1348.77	863.43	0	150.74	712.69
28	Rohtas	1167.51	0	160.7	1006.81	972.94	0	104.09	868.85
29	Saharsa	991.61	1172.72	896.07	0.00	502.54	92.55	440.99	0.00
30	Samastipur	1744.54	0	0	1744.54	1305.11	2.6	0	1302.51
31	Saran	1905.06	0	104.2	1800.86	1574.19	0	597.14	977.05
32	Sheikhpura	273.32	168.48	90.67	14.17	190.29	0	55.62	134.67
33	Sheohar	383.32	0	218.76	164.56	283.85	0	65.81	218.04
34	Sitamarhi	1790.55	1173.03	731.64	0.00	1319.19	678.45	597.14	43.60
35	Siwan	1202.87	0	722.6	480.27	1071.75	0	473.25	598.50
36	Supaul	1078.58	273.57	937.58	0.00	'606.13	79.28	500.65	26.20
37	Vaishali	1193.62	274.02	371.24	548.36	942.28	206.13	361.32	374.83
38	West Champaran	2088.45	1192.907	1146.57	0.00	1158.12	0	79.59	1078.53
Total					21339.05				17004.81

2. द्वित्तीय त्रैमास 2018–19 में भारत सरकार से प्राप्त कुल खाद्यान्न का विवरणी :–

भारत सरकार से द्वितीय त्रैमास 2018–19 का प्राप्त आवंटन (मात्रा MT में)		जिलों को द्वितीय त्रैमास 2018–19 में कुल उपावंटन (मात्रा MT में)		द्वितीय त्रैमास 2018–19 में आकस्मिकता हेतु सुरक्षित कुल खाद्यान्न (मात्रा MT में)	
वर्ग I-V	वर्ग VI-VIII	वर्ग I-V	वर्ग VI-VIII	वर्ग I-V	वर्ग VI-VIII
55987.23	33172.49	21339.05	17004.81	34648.18	16167.48

3. यह आवंटन वित्तीय वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 के पिछले 5 माह (जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एवं मई) के औसत लाभान्वित के आधार पर है। साथ ही, वित्तीय वर्ष 2017–18 के उपयोगिता प्रमाण पत्र में 31.03.2018 को जिलों के द्वारा दर्शाया गया अंतिम अवशेष एवं प्रथम त्रैमास 2018–19 में त्रैमास समाप्त होने के पश्चात् भी राज्य खाद्य निगम के पास रक्षित खाद्यान्न को जिले के द्वित्तीय त्रैमास के खाद्यान्न के आवश्यकता में से समायोजन करके यह आवंटन दिया जा रहा है। यदि आपका आवंटन कम या ज्यादा हो तो आप पर्याप्त कारण बताते हुए अतिरिक्त आवंटन की माँग कर सकते है। विद्यालय में उपस्थित सभी छात्रों को मध्याह्न भोजन करवाना अनिवार्य है।

4. जिला औरंगाबाद, भोजपुर, किशनगंज, मधेपुरा, मुंगेर, नवादा, पटना, सहरसा, सीतामढ़ी, सुपौल एवं प० चम्पारण में वर्ग 1 से 5 में शून्य खाद्यान्न दिया जा रहा है एवं वर्ग 6 से 8 में जिला किशनगंज, मधेपुरा, नवादा एवं सहरसा को खाद्यान्न शुन्य दिया जा रहा है क्योंकि इन जिलों में खाद्यान्न का अत्याधिक मात्रा है एवं द्वितीय त्रैमास के खाद्यान्न के आवश्यकता से उपयोगिता प्रमाण पत्र में दर्शाये गये अंतिम अवशेष एवं राज्य खाद्य निगम के पास प्रथम त्रैमास का रक्षित खाद्यान्न को समायोजन करने के पश्चात् जिलों का अवश्यकता Negative में आ रहा है। इस हेतु शून्य खाद्यान्न दिया जा रहा है।

5. जिस त्रैमास के लिए खाद्यान्न का आवंटन होगा, उस त्रैमास के पूर्व के माह की पहली तारीख से उस त्रैमास के अंतिम माह की 25 वीं तारीख के बीच खाद्यान्न के उठाव की अनुमति भारतीय खाद्य निगम को देनी होगी। (उदाहरणार्थ, अप्रैल–जून, 2017 के त्रैमास हेतु खाद्यान्न के उठाव की वैधता 01 मार्च, 2017 से 25 जून, 2017 तक होगी) खाद्यान्न के उठाव की मात्रा में भारतीय खाद्य निगम कोई परिवर्त्तन नहीं करेगा।

भारत सरकार से प्राप्त निदेशानुसार आवंटित खाद्यान्न का उठाव आवंटन अवधि से एक माह पूर्व में भी किया जा सकता है। भारतीय खाद्य निगम एवं राज्य खाद्य निगम के स्तर पर आवश्यकतानुसार इस निदेश का अनुपालन किया जायेगा।

6. भारतीय खाद्य निगम के पदाधिकारी तथा जिला पदाधिकारी द्वारा नामित पदाधिकारी के संयुक्त निरीक्षण दल, निरीक्षण के पश्चात् यह सुनिश्चित करेंगे कि खाद्यान्न FAQ गुणवत्ता वाला है। Consignee receipt (तीन प्रतियों में) भारतीय खाद्य निगम के प्रभारी तथा जिला पदाधिकारी द्वारा नामित पदाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित किया जाएगा। उक्त अभिमत की एक प्रति उठाव करने वाले पदाधिकारी (राज्य खाद्य निगम) के पास रहेगी तथा दूसरी प्रति जिला स्तर पर भुगतान करने वाले पदाधिकारी जिला (मध्याह्न भोजन योजना प्रभारी पदाधिकारी) के पास रिकार्ड के रूप में सुरक्षित रहेगा।

(i) जिला प्रशासन के प्रतिनिधि भारतीय खाद्य निगम के प्रतिनिधि तथा राज्य खाद्य निगम के प्रतिनिधि संयुक्त निरीक्षण कर मध्याह्न भोजन योजना के लिए दिये जाने वाले खाद्यान्न के तीन नमूने लेंगे और इन्हें सील कर पहला नमूना जिला प्रशासन के पास, दूसरा नमूना भारतीय खाद्य निगम के जिला कार्यालय के पास और तीसरा नमूना राज्य खाद्य निगम के जिला कार्यलय के पास सुरक्षित रहेगा।

(ii) इन नमूनों को तीन माह तक सुरक्षित रखा जायेगा। यदि इस अवधि में खाद्यान्न में गुणवत्ता की शिकायत आती है तो इस नमूने से उसका मिलान कर संभावित विचलन की जिम्मेवारी निर्धारित किया जा सकेगा। खाद्यान्न की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए इस प्रक्रिया को खाद्यान्न स्थानान्तरित करने के हर स्तर पर अपनाया जायेगा, जब तक कि यह खाद्यान्न बच्चों के उपयोग हेतु स्थल पर नहीं पहुँच जाता है।

7. राज्य से खाद्यान्न का आवंटन प्राप्त होने के पश्चात् जिला प्रशासन खाद्यान्न की आवश्यकता, परिवहन की सुविधा एवं भंडारण की क्षमता के आलोक में खाद्यान्न के उठाव हेतु Schedule स्थानीय भारतीय खाद्य निगम तथा राज्य खाद्य निगम को उपलब्ध करायेगा। राज्य खाद्य निगम तदनुसार भारतीय खाद्य निगम से मध्याह्न भोजन योजना के खाद्यान्न का उठाव सुनिश्चित करेगा और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना के द्वारा निर्देशित प्रकार से विद्यालयों को आवश्यकतानुरूप खाद्यान्न निर्गत करेगा।

8. भारतीय खाद्य निगम का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित करे कि उसके गोदाम में हमेशा खाद्यान्न उपलब्ध रहे, जो किसी भी परिस्थिति में Fair Average Quality (FAQ) से कम गुणवत्ता का न हो। भारतीय खाद्य निगम एक नोडल पदाधिकारी की नियुक्ति करेगा, जो खाद्यान्न की आपूर्ति से संबंधित विभिन्न समस्याओं का ध्यान रखेगा।

9. जिला प्रसाशन एवं भारतीय खाद्य निगम का डिपो यह सुनिश्चित करेंगे कि आवंटित खाद्यान्न से अधिक खाद्यान्न का उठाव नहीं हो।

10. इसी माह में आपूर्त्ति किये गये खाद्यान्न के बिल भारतीय खाद्य निगम अगले माह की 10 वीं तारीख तक निर्धारित प्रपत्र में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना को उपलब्ध करायेगा तथा

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना प्राप्त विपत्र का भुगतान जाँचोपरान्त 20 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से करेगा।

11. भारतीय खाद्य निगम अपने बैंक खाता संख्या तथा भुगतान प्राप्त करने के मोड की जानकारी जिला मध्याह्न भोजन कार्यक्रम पदाधिकारी को देंगे। जिला मध्याह्न भोजन योजना कार्यक्रम पदाधिकारी का दायित्व होगा कि वे खाद्यान्न की राशि का भुगतान R.T.G.S./चेक से उस खाते में करेंगे।
12. भारतीय खाद्य निगम के जिला प्रबंधक अथवा उनके प्रतिनिधि और सभी अन्य संबंधित पदाधिकारियों की जिला प्रशासन के साथ प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह में खाद्यान्न के उठाव, खाद्यान्न की गुणवत्ता एवं भुगतान के संबंध में मासिक बैठक होगी तथा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना प्रत्येक अगले माह की 7 वीं तारीख तक राज्य मुख्यालय (मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय) को इस संबंध में प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।
13. पूर्व निर्धारित प्रारूप के अनुसार मासिक प्रतिवेदन (खाद्यान्न का Monthly Progress Report) प्रत्येक माह की अगली 10 वीं तारीख तक निश्चित रूप से मध्याह्न भोजन योजना समिति, बिहार को उपलब्ध करा देंगे जिससे यह प्रतिवेदन राज्य स्तर पर संकलित करते हुए 15 वीं तारीख तक भारत सरकार को भेजा जा सके।
14. राज्य खाद्य निगम से योजना का खाद्यान्न निर्गत के समय प्रखण्ड साधन सेवी का वहां उपस्थित रहना अनिवार्य है साथ ही खाद्यान्न का एक नमूना प्रखण्ड साधन सेवी के पास आगामी तीन माह के लिए सील कर रहेगा।
15. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना को निदेश दिया जाता है कि वे जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम से सम्पर्क कर मासिक उठाव का रोस्टर तैयार करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेगें की प्रति माह 15वीं तारीख से लेकर 30वीं तारीख तक खाद्यान्न का उठाव एवं वितरण हो जाए एवं MIS में प्राप्ति की मात्रा प्रदर्शित हो जाये।
16. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना यह सुनिश्चित करेंगे कि MIS Generated Advice के अनुसार प्रति माह की 18वीं तारीख तक खाद्यान्न का उपावंटन जारी कर देंगे। राज्य खाद्य निगम का यह दायित्व होगा कि जिलों में निर्धारित पूर्व प्रक्रिया के अनुसार त्रैमासिक अथवा मासिक S.I.O. निर्गत करेंगे जो माह की 23वीं तारीख तक अनिवार्य रूप से निर्गत होगा।
17. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना प्रति माह की 30वीं तारीख तक खाद्यान्न का उठाव एवं वितरण कराना सुनिश्चित करेंगे।
18. सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना खाद्यान्न का उपावंटन प्रविष्ट कर योजना के वेबसाईट www.mdmsbihar.org पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करेंगे।
19. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, संवेदक/प्रखण्ड साधनसेवी के माध्यम से खाद्यान्न का भौतिक सत्यापन कराकर सुनिश्चित करेंगे कि विद्यालय स्तर पर खाद्यान्न वितरण के समय विद्यालय में पूर्व से भण्डारित खाद्यान्न का उपयोग किया जा रहा है।
20. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना यह सुनिश्चित करेगे की प्रत्येक विद्यालय के पास हर हालत में अगले एक माह तक उपभोग किये जाने हेतु खाद्यान्न का स्टॉक रखना अनिवार्य है, ताकि आकस्मिक परिस्थिति में योजना बाधित नहीं हो।
21. सभी प्रासंगिक पत्रों के निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने की कृपा करेंगे।

विश्वासभाजन

3/7/18

(विनोद कुमार सिंह)
निदेशक
मध्याह्न भोजन योजना
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 1189 / पटना, दिनांक 03/7/18

प्रतिलिपि–सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3/7/18

(विनोद कुमार सिंह)
निदेशक
मध्याह्न भोजन योजना
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 1189 / पटना, दिनांक 03/7/18

प्रतिलिपि–डाटा ऑफिसर–सह–सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को इस निदेश के साथ प्रेषित कि वे इस आवंटनादेश को MDM के वेबसाइट पर अपलोड करेंगे।

3/7/18

(विनोद कुमार सिंह)
निदेशक
मध्याह्न भोजन योजना
बिहार, पटना।